

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 07.06.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 36 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रदीप कुमार पुत्र भगौती प्रसाद नि० पिपरी रावत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 144 / 2021, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुनील कुमार सोनकर पुत्र राम नौरंग सोनकर नि० ककरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 166 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हनुमान पुत्र रामबक्स नि० ग्राम संगेरिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 209 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामलायक सिंह पुत्र कालिका सिंह नि० छावनी सरकार थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 426 / 21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.06.2021

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 06 व्यक्ति गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआरियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिए थे ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम चपरतल्ला के पास से जुआं खेलते हुए कुल 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रु0 1230/- नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया । अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मोतीगंज मे जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सत्यराम पुत्र रामचन्द्र नि0 चपरतल्ला थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
02. जगदम्बा सिंह पुत्र हरिशंकर सिंह नि0 चपरतल्ला थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
03. शेखर सिंह पुत्र हरिशंकर सिंह नि0 चपरतल्ला थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
04. राजेश पुत्र नानमून नि0 चपरतल्ला थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
05. अर्जुन कुमार पुत्र शिवचरन नि0 चपरतल्ला थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
06. अनिल कुमार पुत्र देवीदीन नि0 चपरतल्ला थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग -

01. मु0अ0सं0- 122 / 21, धारा 13 जुआ अधि0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 शरद कुमार अवस्थी मय टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.06.2021

120 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 06.06.2021 को थाना को0नगर के उ0नि0 शेषमणि त्रिपाठी मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त साजन के कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक व अभियुक्त संदीप शुक्ला के कब्जे से 70 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना को0नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. साजन उर्फ महबूब आलम पुत्र अनवर अली नि0 जिगर स्कूल थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. संदीप शुक्ला पुत्र ओंकारनाथ शुक्ला नि0 भटवलिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 427/21, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 428/21, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (स्मैक) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 शेषमणि त्रिपाठी मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.06.2021

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0- 162 / 21, धारा 363.366 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त- चन्दू पुत्र लक्ष्मण को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अपहृता को बरामद कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. चन्दू पुत्र लक्ष्मण नि0 भानपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 162 / 21, धारा 363,366 भादवि0 थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 मदन लाल गौतम मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.06.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 07.06.2021 को थाना इटियाथोक के उ०नि० सत्यनारायण मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त हारुन को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 300 अल्प्राजोलम की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद हुईं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. हारुन पुत्र फकीर मोहम्मद नि० पेम्ईपुरवा पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 178/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 300 अवैध नशीली गोलियाँ (अल्प्राजोलम) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० सत्यनारायण मय टीम।